संख्या:– 5740/77–4–21–126एन/21

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नौएडा/ग्रेटर नौएडा/यमुना एक्सप्रेसवे/
यूपीसीडा/गीडा/सीडा।

औद्योगिक विकास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 15 ~~अक्टूबर~~ दिसम्बर, 2021

विषयः "उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति, 2021" के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–4/2021/ 1792/78–2–2020/254एल.सी./2019, दिनांक 28 जनवरी, 2021 एवं आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–22/2021/1274/78–2–2020–254एल.सी./2019, दिनांक 23.09.2021 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा "उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति, 2021" को प्रख्यापित करते हुए उक्त नीति के कियान्वयन हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति, 2021 में अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन, यथा भूमि उपादान जलापूर्ति, भवन निर्माण मानदण्डों में विशेष प्राविधान (जैसे सबलीजिंग, फ्लोर एरिया रेशियो, भूति आच्छादन आदि) अन्य सहायता आदि एवं सम्बन्धित अन्य प्राविधानों को नीति के अनुरूप तत्काल लागू करने का कष्ट करें।

3. यदि नीति ~~के~~ कियान्वयन के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के प्लान/बायलॉज/नियमों में किसी संशोधन पर शासन के अनुमति की आवश्यकता हो तो यथोचित प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। चूँकि नीति मा0 मंत्रीपरिषद से अनुमोदित है, अतः संशोधनों पर शासन के अनुमोदन की प्रतीक्षा न करते हुए इन संशोधनों को तत्काल लागू किया जाए।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या:– 5740(1)/77–4–21तद्दिनांक

प्रतिलिपि आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन को उनकी अधिसूचना संख्या–4/2021/1792/78–2–2020/254एल.सी./2019, दिनांक 28 जनवरी, 2021 एवं आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–22/2021/1274/78–2–2020–254 एल.सी./2019, दिनांक 23.09.2021 के सन्दर्भ में सूचानार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

श्री दिलीप | KWF
16.12.21